Y(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 1820-II/07 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं ... आदि के ह...
7-7-15	मैंने प्रकरण का अवलोकन किया यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र राजस्व मंडल ग्वालियर के प्रकरण क्र. आर–501/दो–3 में पारित आदेश दिनांक 13.02.03 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। 2. प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि अपर आयुक्त सागर, के अपील प्रकरण क्र. 310/अ–6/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 13.02.03 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसके प्रकरण कमांक 501/दो–3 में पारित आदेश दिनांक 25–10–07 द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा गया जिसके विरूद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रस्तुत किए जाने पर ग्राह्य किया जाकर प्रकरण में दोनों पक्षों के तर्क श्रवण किए गए प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया। 3– प्रकरण में मुख्य विचारणीय तथ्य यह है कि तहसीलदार हटा के समक्ष आवेदक गोविन्दास ने दिनांक 25–09–1993 को एक आवेदनपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अनुविभागीय अधिकारी हटा के अपील प्रकरण कमांक 4/अ–6/90–91 में पारित आदेश दिनांक 30–03–91 द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जावे। तहसीलदार हटा द्वारा प्रकरण में सभी आवश्यक एवं हितवत पक्षकारों को आहुत कर उनकों दस्तावेज/साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उनके द्वारा कोई पक्ष समर्थन न किए जाने के कारण प्रकरण का निराकरण दिनांक 06–02–95 को किया जाकर ग्राम हटा स्थित भूमि खसरा नंबर 17 रकवा 5.658 हे0 पर आवेदक गोविन्दास का नाम पूर्वतः दर्ज किए जाने का आदेश दिनांक 27–03–90 के अनुसार पारित किया गया है। उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगणों द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी हटा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 07–04–2000 को निराकृत कर तहसीलदार के आदेश दिनांक 06–02–95 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है। जिसके विरूद्ध	

[कृ. प...

R·1870-II/07 ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों आदि
	प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त सागर द्वारा दिनांक 13–02–03 को निगरानी के अधिकार होने से प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने पर आवेदक द्वारा निगरानी राजस्व मंडल ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 25–10–07 को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अंतरिम स्वरूप का मान्य किए जाने पर खारिज किए जाने से पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनः विचार याचिका इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 4– मैंने आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया राजस्व मंडल ग्वालियर के आदेश दिनांक 25–10–07 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण में अपर आयुक्त सागर के आदेश की पुष्टि बिना किसी विश्लेषण के धारा 46घ के तहत प्रचलन योग्य न होने के आधार पर निराकृत की है। जबकि विचारधीन प्रकरण वर्ष 1952 में रजिस्टर्ड वटवारा के आधार पर प्रचलनशील होने और कई बार प्रत्यावर्तित किए जाने/पक्षकारों द्वारा पक्ष समर्थन न किए जाने से गुणदोषों पर निराकृत किए जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की विद्वान परिस्थितियों पर विचार किए जाने से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि वर्ष भू–राजस्व संहिता 1959 के पूर्व निष्पादित रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 16–10–1952 को किए गए बंटवारानामा को वैद्य न मानकर और उस पर कोई व्याख्या न देते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तकनीकी त्रुटि के आधार पर प्रकरण निराकृत किया है। इस कारण पारित आदेश को मैं वैद्य नहीं मानता हूँ। तहसीलदार हटा के प्रकरण कमांक 3/अ–6 वर्ष 1992–93 में 16–10–1952 को किया गया बंटवारा नामा के आधार पर पारित आदेश दिनांक 27–08–90 के अनुसार नामांतरण किए जाने बावत् विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अनावेदकगणों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे तथाकथित बंटवारानामा 16–10–1952 को मान्यता न दी जा सकें। ऐसी स्थिति में तहसीलदार हटा द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–6 वर्ष 1992–93 में पारित आदेश दिनांक 06–02–1995 को वैद्य मान्य करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। उपरोक्त विवेचना के आधार राजस्व मंडल द्वारा निगरानी प्र.क. 501/दो–3 में पारित आदेश दिनांक 25–10–07 निरस्त करते हुए यह पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–02–1995 स्थिर रखे जाने के निर्देश दिए जाते है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

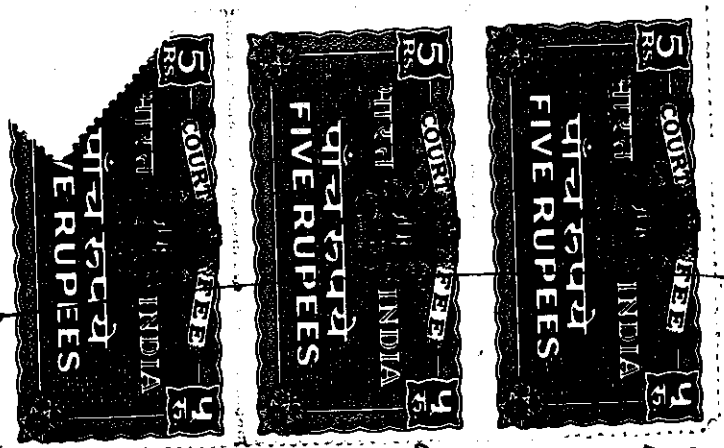

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००७ पुनरावलोकन.

१) गोविन्ददास, आयु ७० वर्ष,) पुत्रगण स्व०
२) जुगलकिशोर, आयु ६५ वर्ष,)
३) जगदीश, आयु ५८ वर्ष,) श्री रामसहाय

समस्त निवासीगण रामगोपाल जी वार्ड हटा
तेहसील हटा, जिला दमोह, म०प्र०

---- आवेदकगण.

विरुद्ध

१) दिनेशचन्द्र, आयु ४५ वर्ष,)
२) महेशचन्द्र, आयु ४३ वर्ष,) पुत्रगण
३) उमेशचन्द्र, आयु ४० वर्ष,) श्यामसुन्दर बज
४) श्रीराम, आयु ३३ वर्ष,)
५) बृजेश, आयु ३१ वर्ष,)
६) मुकेश, आयु २७ वर्ष,)

समस्त निवासीगण रामगोपाल जी वार्ड हटा
तेहसील हटा, जिला दमोह (म०प्र०)

७) मु० रतन बहू बेवा श्यामसुन्दर बजाज,
निवासी रामगोपाल जी वार्ड हटा,
जिला दमोह म०प्र०

---- अनावेदकगण.

पुनरावलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र०भू-राज
संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांकी २५-१०-०७ पारि
द्वारा श्री डी० सिंघई, प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल
म०प्र० ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक आर-५०१-II/०३ बउन